FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत ____________ मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

किस्म मुकद्दमा ____________ नं. ____________ सन् ____________

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.5.19	वाद पत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ । वकील वादी उपस्थित । दर्ज रेवेन्यू इब्तदायी किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । पत्रावली देखने तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक 29/5/2019 को पेश हो । [signature] उपखण्ड अधिकारी डूंगला	
29-5-19	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी ने उपस्थित होकर राजीनामा तैयार कर वादी व प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित करा प्रस्तुत किया गया जिसको शामिल पत्रावली किया जाकर प्रमाणित किया गया। वादी एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को सुना गया। वादी के बयान लिये जाकर शामिल किये गये। वकील वादी द्वारा बयानों में दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये। पत्रावली का एवं वाद पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रेकार्ड एवं दस्तावेज का अवलोकन कर परीक्षण किया गया तो पाया गया कि दिनांक 29-5-2008 को श्री जगन्नाथ पिता लाछू माली निवासी किशोर जी का खेड़ा से रजिस्टर्ड दस्तावेज से श्री देवीलाल पिता ओंकारलाल ब्राह्मण निवासी छापरी ने व श्री बंशीलाल पिता भैया लौहार निवासी छापरी ने मिलकर आराजी नम्बर 20/27 रकबा 0.2700 हे भूमि क्रय की गई है। तथा क्रय शुदा	[illegible] Idy [illegible] Identified [signature] (शाहनवाज खान)

Scanned by CamScanner

आराजी पर इन दोनों का कब्जा हो काश्त की जा रही है।
किन्तु पटवारी हल्का नेगड़िया द्वारा ग्राम छापरी में खोले गये नामान्तरण संख्या 610 दिनांक 29-7-2008 को भूप्रबंधक क्रय शुदा भूमि को श्री देवीलाल पिता ओंकार जाति ब्राह्मण निवासी छापरी के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित कर दी गई है। तथा क्रेता श्री बंशीलाल पिता भैरा जाति चौधर निवासी छापरी का नाम दर्ज होने से रह गया। जबकि उक्त भूमि इन दोनों के द्वारा क्रय की गई है तथा इन दोनों के कब्जे काश्त में है। अतः मौजा छापरी की आराजी नम्बर 20/27 रकबा 0.2700 हे. भूमि में श्री बंशीलाल पिता भैरा जाति चौधर निवासी छापरी को ½ हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया जावे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी,
डूंगला